राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– / 003 / अ–19(4) / 2020–21

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग छिन्दवाड़ा विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा

1	2	3
16/06/2021	प्रकरण आज पेश। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा उनके पत्र कमांक /1026 / त0शा0 / तन्सरा–नोनीछापर / 2020–21 छिन्दवाड़ा दिनांक 11.02.2021 प्रेषित कर लेख किया गया कि उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 11 जनवरी 2021 के माध्यम से तन्सरा से नोनीछापर मार्ग में प्रभावित 3.082 हे0 वनभूमि के स्थान पर लहगडुआ प0ह0नं0 30 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील तामिया की राजस्व भूमि को वनमण्डलाधिकारी, पूर्व छिन्दवाड़ा वनमण्डल छिन्दवाड़ा को वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित किया गया हैं। वनमण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा द्वारा उनके पत्र कमांक /माचि / 2021 / 253 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा लेख किया गया कि तन्सरा से नोनीछापर में प्रभावित वन भूमि के स्थान पर ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील तामिया की राजस्व भूमि का आबंटन उक्त आदेश दिनांक 11 जनवरी 2021 द्वारा किया गया हैं, चूंकि ग्राम लहगडुआ तहसील तामिया के अंतर्गत आता हैं, अतः आबंटित वनभूमि वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल छिन्दवाड़ा को वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित किये जाने का निवेदन किया गया हैं। मूल प्रकरण राजस्व अभिलेखागार से आहूत किया गया। आवेदक द्वारा उक्त संशोधन किंये जाने संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 11.02.2021 एवं पारित आदेश दिनांक 11/01/2021, को अवलोकन किया गया। अतः ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसीलतामिया स्थित भूमि ख़0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान में से 3.082 हे0 भूमि वनविभाग (वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा) के स्थान पर वनविभाग (वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा) को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित की जाती हैं। यह संशोधित आदेश मूल आदेश का ही एक अंग होगा, शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश की प्रति सर्व संबंधितों को भेजी जावें। प्रकरण नस्तीबद्ध; जिला अभिलेखागार जमा हो। (सौरभ कुमार सुमन) कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा।	

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner